**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

***सुरक्षित: 16 मई, 2024***
***उद्घोषित: 20 मई, 2024***

**<u>सि.वा. (मू.प.) 380/2017</u>**

1. **सुश्री अमारा डालमिया (अवयस्क)**
रुद्र डालमिया की पुत्री
अपने नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से रुद्र डालमिया
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-110001।

2. **सुश्री अरमाना डालमिया (अवयस्क)**
रुद्र डालमिया की पुत्री
अपने नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से रुद्र डालमिया
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-110001।

3. **श्रीमती सुमया डालमिया**
रुद्र डालमिया की पत्नी
अपने नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से रुद्र डालमिया
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-110001 ।

4. **श्री रुद्र डालमिया**
शिवनिधि डालमिया का पुत्र
निवासी: 3, सिकंदरा रोड,
नई दिल्ली-110001 ..... वादीगण

के माध्यम से: श्री जीवेश नागराथ, श्री विमल कुमार श्रीमती नागराथ, सुश्री दिव्या लाल, श्री अर्जुन गौड़, श्री विनोद कुमार और श्री रजत गुप्ता, अधिवक्तागण।

बनाम

1. **श्रीमती मृदुला डालमिया**
शिवनिधि डालमिया की पत्नी
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई
दिल्ली-110001।

2. **एस.एन. डालमिया एंड संस एचयूएफ**
अपने कर्ता श्री शिवनिधि डालमिया के
माध्यम से
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-
110001।

3. **श्री शिवनिधि डालमिया**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया का
पुत्र
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-
110001

4. **श्री करुणानिधि डालमिया**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया का पुत्र
विश्वनिधि डालमिया का अभिरक्षक
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई
दिल्ली-110001.

5. **श्री विश्वनिधि डालमिया**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया का
पुत्र
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-
110001

6. **सुश्री अर्चना डालमिया**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया की
पुत्री
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-
110001

7. **सुश्री लक्ष्मण डालमिया**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया की
पुत्री
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई दिल्ली-
110001

8. **श्रीमती नीलिमा अदहर**
स्वर्गीय श्री राम कृष्ण डालमिया की पुत्री
निवासी: 3/13, शांति निकेतन,
नई दिल्ली-110021

9. **गौरव सेठ**
श्री चन्द्रशेखर सेठ का पुत्र
निवासी: 3, सिकंदरा रोड, नई
दिल्ली-110001

10. **श्री विनीत नाथ**
श्री चन्द्रशेखर सेठ का पुत्र
निवासी: बैकुंठ निवास,
सिविल लाइंस, मेरठ। ..... प्रतिवादीगण

के माध्यम से: श्री अर्जुन स्याल और श्री रघुवीर कपूर, प्रति-2 हेतु अधिवक्तागण।
श्री अमिताभ चतुर्वेदी, श्री अंकित मौंगा,
सुश्री रिमझिम सुहामी, प्रति-7 हेतु अधिवक्तागण।
श्री कुशाग्र पंडित, प्रति-10 हेतु अधिवक्तागण।

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा**

**निर्णय**

**न्या. नीना बंसल कृष्णा**

**अंतर. आ. 14227/2018** (*आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आदेश I नियम 10 सहपठित सि.प्र.सं. की धारा 151 वादीगण की ओर से वादपत्र में संशोधन और तृतीय पक्ष को प्रतिवादीगण के रूप में अभियोजित करने के लिए)*

1. वादी सं. 1 से 3 की ओर से अपने वादपत्र में संशोधन की मांग करते हुए यह आवेदन दायर किया गया है।

2. **इस आवेदन में प्रस्तुत किया गया है** कि वादी सं. 1 से 3/ आवेदकों ने **एस.एन. डालमिया एंड संस एचयूएफ** (इसके बाद "एचयूएफ" के रूप में संदर्भित)/प्रतिवादी सं. 2 की **संपत्तियों के विभाजन और लेखें दिए जाने के लिए** वाद दायर किया है। वादी सं. 1 से 4 और प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के सदस्य हैं और प्रतिवादी सं. 3 इसका कर्ता है।

3. वादी सं. 1 से 3 का मामला यह है कि जब अगस्त 2017 में वर्तमान वाद दायर किया गया था, तब उन्हें प्रतिवादी सं. 2, एचयूएफ की अन्य आस्तियों के विषय में जानकारी नहीं थी। हालांकि वादी जानते थे कि प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा शेयरधारक था, परंतु वे शेयरधारिता की सीमा से अनभिज्ञ थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 10 ने दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरों के संबंध में *घोषणा और स्थायी व्यादेश* हेतु *सि.वा. सं. 59345/2016* (मूल रूप से इस न्यायालय के समक्ष सि.वा. (मू.प.) 730/2014 के रूप में दायर) के अंतर्गत वाद दायर किया था जो पटियाला हाउस न्यायालय में लंबित है। प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ भी उस वाद में एक पक्षकार है। सि.वा. सं. 59345/2016 में न्यायालय अभिलेखों के निरीक्षण के बाद, वादीगण को दुर्गा

एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ की शेयरधारिता की सीमा का पता चला।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 01.10.2010 तक प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के पास 2350 शेयर थे, जबकि कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 के पास दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में 15650 शेयर थे। यह आरोप लगाया गया है कि कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के पास मौजूद 2350 शेयरों को कपटपूर्वक अपने पक्ष में अंतरित कर लिया। इसके बाद, दिनांक 01.10.2011 से 29.09.2012 की अवधि के दौरान, कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 ने अपने पास मौजूद सभी शेयर अर्थात् 15,650 + 2350 = 18,000 अपनी बहन अर्चना डालमिया/प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में उपहार में दे दिए।

5. वादीगण ने आगे आरोप लगाया कि अर्चना डालमिया/प्रतिवादी सं. 6 ने इन शेयरों को 8500 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मैसर्स पिरामिड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 15,30,00,000 रुपये में बेच दिया। इसके बाद पिरामिड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने इसे श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती अनीता चौधरी और श्री विनय कुमार चौधरी को अंतरित कर दिया।

6. यह प्राख्यान किया गया है कि कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 के पास जितने भी शेयर थे, वे सभी प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ में भी रखे गए थे। इसलिए, वादी के संज्ञान में आया है कि दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के 18,000 शेयर, जो कि प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ की आस्ति है, का दुर्विनियोग किया गया है।

7. इस प्रकार, वादीगण अपने वादपत्र में परिणामी संशोधन तथा दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के शेयरों के उत्तरोत्तर अंतरितियों/खरीदारों को अभियोजित करने की मांग करते हैं।

8. **प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने आवेदन के उत्तर में** आवेदन में दिए गए सभी प्रकथनों का प्रत्याख्यान किया है।

9. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित संशोधन विवाद के विषय से पूर्ण रूप से असंबंधित हैं। वास्तव में, वादीगण स्थावर संपत्ति के विभाजन के हकदार नहीं हैं जो कि वाद में उल्लिखित सिकंदरा रोड संपत्ति है क्योंकि यह कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 के व्यक्तिगत स्वामित्व में थी और एचयूएफ पूल का हिस्सा नहीं थी।

10. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के संबंध में संशोधन करने की मांग करके, वादीगण समय-वर्जित राहतों को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, वादी सं. 4, जो वादी सं. 3 का पति और वादी सं. 1 और 2 का पिता है, को हमेशा सि.वा. सं. 59345/2016 में कार्यवाही के बारे में पता था क्योंकि वह उक्त वाद में प्रतिवादी था। इसलिए, वादीगण को अधित्यजन के सिद्धांत के आधार पर इस मुद्दे को उद्भूत करने से विबंधित किया गया है।

11. **प्रतिवादी सं. 5 और 6 ने आवेदन के उत्तर में** प्रतिवादी सं. 2 और 3 के समान ही अभिवचन दिए हैं।

12. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

13. **वादी सं. 1 से 3 ने** दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के शेयरों के संबंध में लेनदेन की श्रृंखला को स्पष्ट करने के लिए **वादपत्र में पैरा 4क जोड़ने की मांग की है**।

14. पैराग्राफ 4क में कहा गया है कि पिरामिड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (प्रस्तावित प्रतिवादी सं. 11) और श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता (प्रस्तावित प्रतिवादी सं. 12) ने श्री विश्वनिधि डालमिया/प्रतिवादी सं. 5 और सुश्री अर्चना डालमिया/प्रतिवादी सं. 6 से दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (प्रस्तावित प्रतिवादी सं. 15) के शेयर खरीदे, जिन्होंने इन्हें आगे श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्रीमती अनीता चौधरी और श्री विनय कुमार चौधरी (प्रस्तावित प्रतिवादी सं. 12, 13 और 14) को बेच दिया।

15. **वादी सं. 1 से 3 ने वादपत्र के पैराग्राफ 15 के स्थान पर पैराग्राफ 15 से 15 ग जोड़ने की मांग की है** जिससे यह कहा जा सके कि प्रतिवादी सं. 10 ने दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में अपने द्वारा रखे गए कुछ शेयरों के संबंध में *सि.वा. सं. 59345/2016 (मूल रूप से सि.वा.(मू.प.) 730/2014)* दायर किया था। प्रतिवादी सं. 2, एचयूएफ भी इस वाद में पक्षकार है क्योंकि वह दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में एक बड़ा शेयरधारक है। वादीगण ने इस वाद में सि.प्र.सं. के आदेश I नियम 10 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया और पाया कि प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ की दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में कितनी शेयरधारिता है। यद्यपि, दिनांक 01.10.2010 से 30.09.2011 की

अवधि के दौरान एचयूएफ के शेयरों को अवैध और कपटतापूर्वक अंतरित कर दिया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 के पास मौजूद सभी शेयर, जो कि उक्त कंपनी में 18,000 शेयर हैं, वास्तव में उसे प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ में डालने थे, किंतु उसने इन्हें अपनी बहन सुश्री अर्चना डालमिया/प्रतिवादी सं. 6 को अवैध रूप से उपहार में दे दिया। इन शेयरों को प्रतिवादी सं. 6 सुश्री अर्चना डालमिया ने प्रति शेयर 8500/- रुपये के मूल्यवान प्रतिफल पर बेच दिया, जो कि 15,30,00,000/- रुपये के समान है।

16. **वादपत्र में प्रस्तावित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, वादी सं. 1 से 3 ने** शेयरों या उसकी बिक्री आय पर स्वामित्व की घोषणा के लिए **प्रार्थना खंड (घ) के बाद प्रार्थना खंड (ड़) से (ज) को जोड़ने की मांग की है।**

17. निस्संदेह, वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ की आस्तियों के विभाजन और प्रतिदाय हेतु वर्ष 2017 में वर्तमान वाद दायर किया। यह ध्यान देने योग्य है कि वादी सं. 1 से 3, इन संशोधनों के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के स्वामित्व वाले शेयरों को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका कथित रूप से कर्ता/प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वर्तमान वाद के संस्थित होने से पहले अर्थात् दिनांक 01.10.2010 से 30.09.2011 तक अन्यसंक्रांत कर दिया गया था।

18. *बीरेड्डी दशरथरामी रेड्डी बनाम मंजूनाथ एवं अन्य* सिविल अपील सं. 7037/2021 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी

राजस्व का भुगतान, सहदायिकों का भरण-पोषण, विवाह और धार्मिक समारोह आयोजित करना, ऋणों का भुगतान, संपदा के लाभ हेतु कार्य करना आदि विधिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को अन्यसंक्रांत करने का कर्ता का अधिकार स्थापित है और इस न्यायालय के कई निर्णयों के आधार पर इस पर कोई विवाद नहीं है।

19. यद्यपि, अन्यसंक्रामण के बाद, सहदायिकों को उक्त अन्यसंक्रामण को चुनौती देने का अधिकार है, जैसा कि *श्री नारायण बाल एवं अन्य बनाम श्रीधर सुतार एवं अन्य*, 2 (1996) 8 एससीसी 54 में अभिनिर्धारित किया गया है।

20. इसलिए, भले ही यह मान लिया जाए कि वादी सं. 1 से 3 को हाल ही में प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ से संबंधित शेयरों के कर्ता/प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अंतरण के विषय में पता चला है, उनके पास उपलब्ध एकमात्र उपाय शेयरों के अंतरण को रद्द करने की मांग करना है। यद्यपि, वर्तमान मामले के शुरू होने से पहले ही अन्यसंक्रांत किए गए शेयरों के संबंध में ऐसे नए अभिवचनों और राहतें पेश करने से वाद का दायरा बढ़ जाएगा।

21. उच्चतम न्यायालय ने *एम. रेवन्ना बनाम अंजनम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य*, (2019) 4 एससीसी 332 में अभिनिर्धारित किया कि यदि संशोधन से वाद का मूल चरित्र बदल जाता है तो अभिवचनों में संशोधन के आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

22. विभाजन और कब्जे के लिए एक वाद में, यदि संशोधन के माध्यम से घोषणा की राहत मांगी जा रही है, तो ऐसा संशोधन अस्वीकार्य होगा क्योंकि यह वाद की प्रकृति को बदल देगा जैसा कि *बसवराज बनाम इंदिरा*, (2024) 3 एससीसी 705 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

23. इसके अलावा, वादी केवल एचयूएफ की आस्तियों के विभाजन का दावा कर सकता है, जैसा कि वाद दायर करने की तिथि पर था। **इसलिए, वादी सं. 1 से 3 द्वारा मांगे गए वादपत्र में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती।**

24. तदनुसार सि.प्र.सं. के आदेश VI नियम 17 के अंतर्गत आवेदन खारिज किया जाता है।

**अंतर.आ.14343/2018** (*वादीगण की ओर से सि.प्र.सं. की धारा 151 सहपठित आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत यथास्थिति/प्रकटीकरण हेतु*)

25. वादी सं. 1 से 3 ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध शेष राशि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश मांगे हैं, जो कि प्रतिवादी सं. 2 एचयूएफ के कथित स्वामित्व वाली दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के अंतरण से प्राप्त 15,30,00,000 रुपये है।

26. चूंकि अंतर.आ.14227/2018, दुर्गा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के संबंध में वादपत्र में संशोधन की मांग को अननुज्ञात कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान आवेदन को खारिज किया जाता है।

**सि.वा. (मू.प.) 380/2017**

27. मुद्दों को विरचित करने के लिए दिनांक 08.07.2024 को सूचीबद्ध किया जाए।

**(नीना बंसल कृष्णा)**
**न्यायाधीश**

**मई 20, 2024/*वीए***

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*